

अनुसूची-4
कृषि विभाग
उद्यान निदेशालय

वित्तीय वर्ष 2025-26 में "क्लस्टर आधारित उच्च उत्पादकता सब्जी (गरमा) बीज योजना" का लाभ लेने हेतु एकरारनामा (गैर-रैयत कृषक)
(विहित प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि

1. मैं.....पिता/पति.....
ग्राम.....पोस्ट.....पंचायत.....
प्रखंड.....जिला.....का निवासी हूँ। मैंने
टमाटर/बैंगन/मिर्च/तरबूज/खरबूज/खीरा/कद्दू/करैला/नेनुआ/भिण्डी की खेती हेतु
कृषक श्री.....पिता/पति.....
.....ग्राम..... पोस्ट.....पंचायत.....
.....प्रखंड..... जिला.....से खाता संख्या.....
.....खेसरा संख्या.....रकवा..... जमीन बटाई/पट्टा पर प्राप्त किया
है।
2. बटाई/पट्टा पर ली गई उपर्युक्त जमीन पर सब्जी की खेती की जायेगी/की जा रही है।
3. उपर्युक्त सूचना सही है किसी प्रकार का विवाद होने पर उसकी सारी जबाबदेही मेरी होगी,
तथा मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जा सकता है।

कृषक का हस्ताक्षर

खेत के बगल के दो किसानों का नाम एवं हस्ताक्षर

(मोबाईल नं० सहित)

- | | | |
|---|---------------------|-----------|
| 1 | गवाह का नाम एवं पता | हस्ताक्षर |
| | | |
| | | |
| 2 | गवाह का नाम एवं पता | हस्ताक्षर |
| | | |
| | | |

सत्यापनकर्ता (कृषि समन्वयक/प्रखंड उद्यान पदाधिकारी/प्रखंड कृषि पदाधिकारी)